न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 339 सन 2018
अनवान :–

1. सुरजीत सिह पुत्र रामचन्द जाति मेधवंशी निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र मनफुल जाति मेधवंशी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
2. अर्जनराम 3. आत्माराम 4. जगदीश पि0 रामचन्द्र जाति मेधवंशी निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. सोना 6. कमला 7. मोनिका पुत्रीया रामचन्द्र जाति मेधवंशी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. अनिल 9. राजबाला 10 सुनिता पुत्रीया स्व सुरजमुखी जाति मेधवंशी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 17/8/18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 99/98 के खसरा न0 181/0.7210हैक , खसरा न0 184/1 की 1.5530हैक व खसरा न0 184/3 की 3.0730हैक खसरा न0 216/1 की 3.4270हैक खसरा न0 233/0.6830हैक कुल 9.4580हैक भूमि पूर्व में वादी के दादा धारूराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद उसके पुत्रों पर ओद हुई और वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 को रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 99/98 की कुल 9.4580हैक भूमि हिस्से में आई इसप्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि विरास्तन से प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 वादी की बहने है व प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 वादी की बहने सुरजमुखी के वारिस है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार कियाजाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा व उसके पिता के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद उसके हक हिस्सा की भूमि विरास्तन से उसके/ प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 ने निवेदन किया उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी

Web Copy Not Official

संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का बराबर का हक हिस्सा है ।प्रतिवादी संख्या 1 के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 पुत्र/पुत्रीया है एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 वादी की बहन स्व सुरजमुखी के वारिसान है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि हे जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा /ईकबाल दावा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता सख्या 99/98 की कुल 9.4580हैक भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी सख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो यथावत रहेगा। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 17/6/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आनल, राजबाला, सुगना